फैक्स/ईमेल/अति महत्वपूर्ण
संख्या–548/1–10–2016–33(29)/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊः दिनांक : 03 मई, 2017

विषयः– राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि की मांग, स्वीकृति तथा आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–597/1–10–2016–33(34)/2016टीसी–1, दिनांक 23.05.2016 द्वारा विभिन्न आपदाओं के लिए निर्धारित किये गये लेखाशीर्षकों का उल्लेख करते हुए जनपद स्तर पर धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत उस आपदा तथा लेखाशीर्ष में पूर्व में प्राप्त धनराशि के व्यय/टी0आर0–27 के आहरण की स्थिति दर्शाते हुए शासन से धनराशि की मांग किये जाने के निर्देश जनपदों को दिए गये हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया था कि ऐसे व्यय जो निर्धारित लेखाशीर्षकों के वर्गीकरण में नही आते है उन्हें सामान्य व्यय के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि के व्यय के संबंध में भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 में उल्लिखित मदों यथा–खोज एवं बचाव कार्य, राहत कार्य, पेयजल, नाव किराया आदि के लिए वास्तविक व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हुए धनराशि की मांग किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि जनपदों द्वारा पूर्व निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 23.05.2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन नही किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 में उल्लिखित मानक मदों के लिए ही राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने की व्यवस्था है। जनपदों द्वारा विभिन्न लेखाशीर्षको, विशेषकर लेखाशीर्ष–10–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय एवं 11–सामान्य व्यय में धनराशि की मांग करते समय कार्यों/मदों का उल्लेख नहीं किया जा रहा है जिससे धनराशि स्वीकृत करने में असुविधा हो रही है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न आपदाओं के लिए शासन से धनराशि की मांग करते समय लेखाशीर्ष के साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मद का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय।

4– उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि शासन द्वारा जनपदों की मांग पर धनराशि स्वीकृत की जाती है। धनराशि की स्वीकृति विषयक आदेश राहत की वेबसाइट–rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने के साथ ही जिलाधिकारीगण के एन0आई0सी0 के ई–मेल पर भी प्रेषित किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि राहत की वेबसाइट तथा ई–मेल पर प्रेषित किये जाने वाले पत्रों का संज्ञान नियमित रूप से लेते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

5– कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

GENERAL G.O. 2017//55

Scanned by CamScanner